देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ....1215..../भू अ० दिनांक : ....31/7/2021....

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–गोपलारायडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–447, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **खागा–फुटानी चौक–डीगरी–डुमरिया मोड़–महापुर पथ पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम**–गोपलारायडीह, थाना–सारठ, थाना सं०–447, अंचलः–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश–**0.92 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है –

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	823	रैयती	बाड़ी–2	0.25	प्रदीप सौरेन पे० चरण सौरेन सा० बगदाहा।	अर्जित दाग का अंश रकवा	मौजा झगराही नं०–452 एवं कोदियाडीह नं०–453	मौजा फाराअाम नं०–454	मौजा कुसमटांड़ नं०–448
2	5	835	रैयती	बाड़ी–2	0.03	पदमावती देवी वो प्रभावती देवी पे० वलवली पौद्दार सा०देह।				
3	5	912	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
4	6	834	रैयती	बाड़ी–2	0.03	सरस्वती देवी पति दुलार पौद्दार सा०देह।				
5	12	909	रैयती	बाड़ी–2	0.04	अशोक पौद्दर वो बालकिशोर पौद्दर पे० अन्नत पौद्दर वो भदीया देवी पति बद्री पौद्दर वो नेपाल पौद्दर वो गोपाल पौद्दर पे० बद्री पौद्दर वो नुनलाल पौद्दर पे० कैलाश पौद्दर वो मानकी देवी पति वेलभद्र पौद्दर सा०देह।				
6	13	915	रैयती	बाड़ी–2	0.05	अशोक पौद्दर वो बालकिशोर पौद्दर पे० अनन्त पौद्दर वो भदीया देवी पति बद्री पौद्दर वो नुनलाल पौद्दर पे० कैलाश पौद्दर वो मानकी देवी पति बेलभद्र पौद्दर सा० देह।				
7	13	916	रैयती	बाड़ी–2	0.06	चानो देवी पति मतन पौद्दर वो बिना देवी पति छतीस पौद्दर वो दशरथ पौद्दर पे० महाबीर पौद्दर वो रामदास पौद्दर पे० नुनधन पौद्दर वो वालो पौद्दर वो विनोद पौद्दर वो गुलाब पौद्दर पे० पॉचु पौद्दर वो दुलार पौद्दर वो द्वारिका पौद्दर वो चन्द्रकिशोर पौद्दर पे० नाथु पौद्दर वो भुवनेश्वरी देव्या पति सुरेश पौद्दर वो मनोज पौद्दर पे० काशी पौद्दर वो ब्रहमा पौद्दर वो विष्णु पौद्दर पे० महादेव पौद्दर वो त्रिलोचन पौद्दर वो अशोक पौद्दर वो शंकर				

						पौद्दर पे० औझा पौद्दर वो किशन पौद्दर वो युधि पौद्दर वो सुधीर पौद्दर पे० हाकिम पौद्दर सा० देह।				
8	13	917	रैयती	बाड़ी–2	0.06	सरस्वती देवी पति दुलार पौद्दर सा०देह।				
9	22	825	रैयती	बाड़ी–2	0.04	लुड़धू सौरेन वो नन्दलाल सौरेन पे० मझीया सौरेन वो फेका हेम्ब्रम पति राम सौरेन चन्द्रशेखर सौरेन पे० राम सौरेन वो रानीवासी पति साधु सौरेन				
10	22	830	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
11	22	924	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
12	22	827	रैयती	बाड़ी–2	0.03	शिवशंकर सौरेन वो पानेश्वर सौरेन पे० जगदीश सौरेन वो सुलेमान सौरेन पे० नुनलाल सौरेन सा०देह।				
13	22	828	रैयती	बाड़ी–2	0.02	हेमलाल सौरेन वो दिनेश्वर सौरेन वो गिरधारी सौरेन वो सर्वोचर सौरेन पे० ईश्वर सौरेन वो हलोदी मरांडी पति कमेश्वर सौरेन सा०देह।				
14	22	923	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
15	22	928	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
16	22	829	रैयती	बाड़ी–2	0.03	दिनेश सौरेन वो महेलाल सौरेन वो सिदू सौरेन पे० रामेश्वर सौरेन वो छातो सौरेन पे० बड़का सौरेन वो रासमुनी मंराडी पति स्व० लोबिन सौरेन वो उबीलाल सौरेन वो विदन सौरेन पे० टेका सौरेन सा०देह।				
17	22	922	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव।				
18	25	833	रैयती	बाड़ी–2	0.06	महेश्वर मरांडी वो सुशील मरांडी वो हरिशन मरांडी पे० लेढ़ा मरांडी वो लाखेश्वर मरांडी पे० गिरीश मरांडी वो हराधन मरांडी वो जीयन मरांडी वो बाबुराम मरांडी पे० किष्टु मरांडी सा०देह।				
19		911	रैयती	बाड़ी–2	0.03	मुस्तवाहा।				
				कुल रकवा–	**0.92**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई

अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 26.7.21   अपर समाहर्त्ता, देवघर 29.07.2021

30/07/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1215 / भू अ०, देवघर, दिनांक 31/7/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

30/07/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 26.7.21   अपर समाहर्त्ता, देवघर 29.07.2021